रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263984 CG-DL-E-19062025-263984

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

No. 356]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

सं. 16/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 399(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, रूस और ताइवान (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "एिसटोनाइट्राइल" (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्षक 2926 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 6/04/2024-डीजीटीआर, दिनांक 21 मार्च, 2025 जिसे दिनांक 21 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

(i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

4010 GI/2025 (1)

- (ii) विषयगत वास्तु की डंर्पिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई;
- (iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है.

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

| क्र.सं. | शीर्षक /उपशीर्षक | विवरण | मूलत: उत्पादन का देश | निर्यातक देश | उत्पादक | राशि | इकाई | मुद्रा |
|---------|---------------------|-----------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 2926 90 | एसिटोनाइट्राइल* | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | नानटोंग लियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड | 202 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 2 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | शेडोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | 292 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 3 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी लिमिटेड | 260 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 4 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | क्र.सं. 1, 2 और 3 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक | 481 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 5 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य रूस और ताइवान से भिन्न कोई भी देश | चीन जनवादी गणराज्य | कोई भी उत्पादक | 481 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |

| 6 | वही | वही | रूस | रूस समेत कोई भी देश | कोई भी उत्पादक | 292 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
|---|-----|-----|--|------------------------------|-------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 7 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य रूस और ताइवान से भिन्न कोई भी देश | रूस | कोई भी उत्पादक | 292 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 8 | वही | वही | ताइवान | ताइवान समेत कोई भी देश | कोई भी उत्पादक | 233 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 9 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य रूस और ताइवान से भिन्न कोई भी देश | ताइवान | कोई भी उत्पादक | 233 | प्रति मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |

#सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
*'एसिटोनाइट्राइल को MeCN (मिथाइल साइनाइड), सायनो मीथेन, इथेन नाइट्राइल, एथिल इट्राइल और मीथेन
कार्बोनिट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में किसी भी नाम से और किसी भी स्तर की शुद्धता वाले
एसीटोनट्राइल शामिल हैं।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अविध के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वहीं दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/21/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

No. 16/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 399(E).— Whereas, in the matter of "Acetonitrile" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under subheading 2926 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Russia and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 06/04/2024-DGTR, dated the 21st March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st March, 2025, has, *inter alia*, come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the dumping of the subject goods has resulted in material injury to the domestic industry in India;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

| S.N. | Heading or subheading | Description of the goods | Country of origin | Country of export | Producer | Amount | Unit of Measurement | Currency |
|------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------|------------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 2926 90 | Acetonitrile* | China PR | Any country including China PR | Nantong Liyang Chemical Co., Ltd. | 202 | MT | USD |
| 2 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Shandong Kunda Biotechnology Co., Ltd | 292 | MT | USD |
| 3 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Weifang Zhonghui Chemical Co., Ltd | 260 | MT | USD |
| 4 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any producer other than mentioned in SN 1, 2 and 3. | 481 | MT | USD |
| 5 | -do- | -do- | Any country other than China PR, Taiwan and Russia | China PR | Any producer | 481 | MT | USD |

| 6 | -do- | -do- | Russia | Any country including Russia | Any producer | 292 | MT | USD |
|---|------|------|---|------------------------------|--------------|-----|----|-----|
| 7 | -do- | -do- | Any country other than China PR, Taiwan and Russia | Russia | Any producer | 292 | MT | USD |
| 8 | -do- | -do- | Taiwan | Any country including Taiwan | Any producer | 233 | MT | USD |
| 9 | -do- | -do- | Any country other than China PR, Taiwan and Russia | Taiwan | Any producer | 233 | MT | USD |

#The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No CBIC-190349/21/2025-TRU Section-CBEC]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

^{*} Acetonitrile is also known as MeCN (Methyl Cyanide), Cyano methane, Ethane Nitrile, Ethyl Nitrile and Methane Carbonitrile. The product under consideration covers Acetonitrile known by any name and with any level of purity.